फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

सुरेश कुमार बनाम अंजग्र सिंह आदि

किस्म मुकदमा : 212 RTA प्रकरण संख्या 134/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
12.05.2025	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड सम्मन पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 26.06.2025 को पेश हो। Sd/-	
19.05.2025	प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पर पत्रावली पेशी में ली गई। वकील प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अत : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 3/2 की कुल 3.5030 हैक्ट भूमि व रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 18/15 की कुल 1. 6690 हैक्ट भूमि में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के निर्माण कार्य न करे। उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता/कटानी रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा। वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड सम्मन पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 26.06.2025 को पेश हो। Sd/-	
26.6.25	पत्रावली पेश हुई श्रीमानजी पी.ओ. [illegible] .. अवकाश में स्थगित .... पत्रावली दि० 9/7/25 ...... को पेश [illegible]	
9.7.25	पत्रावली पेश हुई वकील सायल। सायल उपस्थित नहीं पुकार वकील सायल। सायल को कई बार आवाज लगवाई गई किन्तु सायल या सायल का वकील उपस्थित नहीं। प्रार्थना पत्र अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। [illegible] उपखण्ड अधिकारी नोहर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.18 18:37:29 IST
Reason: SelfAttested